9708W

By Speed Post RTI MATTER (to be issued in Hindi)

No. V1.23014/430/2013-VS Government of India Ministry of Home Affairs (PP Division)

> NDCC-Il Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Jai Singh Road, New Delhi-110001, dated:1<sup>st</sup> January, 2014

То

Dr. Rabindra Shukla, Shuklapuri, Gajraula, Amroha (Uttar Pradesh).

Subject:- RTI application under the RTI Act-2005-reg.


Sir,

Please refer to your RTI application dated 03.12.2013 received in this unit on transfer on 26.12.2013.

- 2. The information sought by you does not concern your life or liberty, hence, the information sought does not come under the purview of Section 7(1) of the RTI Act-2005.
- 3. This unit is concerned only with point No.(3) of your application.
- 4. In this regard, it is stated that the security to an individual is provided on the basis of comprehensive threat assessment carried out by the Security Agencies. Further details in this regard are exempted under Section 8(1)(g) and 24(1) of the RTI Act-2005.
- 5. A copy of your RTI application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act, 2005 to Delhi Police and Cabinet Secretariat for providing information available with them, if any, with reference to points (1) and (2) of your application.
- 6. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3<sup>rd</sup> Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.


Yours faithfully,

(Girish Kumar) Director (VS) & CP10 Tele:23438120 Fax:011-23438077



सेवा में.

जन सूचना अधिकारी, ग्रह मंत्रालय, भारत वर्ष, नई दिल्ली।



विषयः RTI Act-2005 के अन्तर्गत जीवन की रक्षा हेतु 48 घण्टे में सूचनायें देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपसे निम्न सूचनाये चाहिये, जिसके शुल्क के रूप में रू० 10/-का पोस्टल आर्डर नं0... 14.F. 29.55(2) संलग्न है।

- प्र01 माननीय स्व0 श्रीमती इंदिरा गाँधी जी, मा0 पूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष के कौन—कौन से परिवारजनों को सुरक्षा श्रेणी ''एस0पी0जी0'', ''एन0एस0जी0'' व अन्य सुरक्षा श्रेणी जब श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनी तब से वर्ष 2013 तक उपलब्ध करायी गयी है। बतायी जाये।
- प्र02 (1) मा0 स्व0 इंदिरा गाँघी जी, मा0 पूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष के पुत्र स्व0 श्री संजय गाँधी जी की पत्नी मा0 श्रीमती मेनका संजय गाँघी, माँ0 सांसद महोदय क्या पूर्व प्रधानमंत्री जी की परिवार की सदस्य श्रेणी में आती हैं या नहीं। बताया जाये।
  - (11) यदि हॉ तो श्रीमती मेनका संजय गॉधी जी मा० सांसद महोदय को प्रदत्त सुरक्षण श्रेणी बतायी जाये।

(।।।) मा0 श्रीमती मेनका संजय गाँधी जी मा0 सांसद महोदय को एस०पी०जी० (स्पेशल प्रोटैक्शन ग्रुप) सुरक्षा श्रेणी नियमानुसार उपलब्ध होनी चाहिए थी सा नहीं। नियमानुसार कारण सहित सूचनायें देने का कष्ट करें।

(IV) सुरक्षी श्रेणी "एस०पी०जी०" को नियमानुसार किन्हें देने का प्रावधान है। मा० श्रीमती मेनका संजय गाँधी मा० सांसद महोदय क्या उक्त श्रेणी में आती हैं या नहीं। कारणों सहित सूचनायें दी जाये।

प्र03 मां श्रीमती मेनका संजय गाँधी जी मां सांसद महोदया को क्या हाई कोर किमिनल्स, पशु तस्करों, मॉस माफियाओं, बालू खनन् माफियाओं, वन्य जीव अपराधियों, वन्य जीव अपराध में सिक्य "इंडियन मुजाहिदीन" आतंकवादी संगठन से जीवन को खतरा है (या) नहीं बताये जाये।

दिनॉकः o 3/12/2°13

मवदीय ४ - А

डा० रविन्द्र शुक्ला(एडवोकेट) कैम्प कार्यालय—शुक्लपुरी गजरौला (अमूरोहा) मो० ०९९१७७००३३

Seac gazi

P.c. 244235

Die As

0)~ /·